# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 35/2024 राकेश कुमार बनाम अंशुल व अन्य

(टी.आई.)

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 30/05/25 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्तागण उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 02,05,06,13 की ओर से प्रकाशन सम्मन नोटिस दैनिक समाचार पत्र दिनांक 12/05/25 के न्यायालय हाजा के सम्मुख उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः अप्रार्थीगण सं. 02,05,06,13 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। अप्रार्थीगण सं. 03,14 की ओर से उपस्थिति दिनांक 16/07/24 के जवाब प्रार्थनापत्र टी.आई. आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र टी.आई. अप्रार्थीगण 03,14 बंद किया जाता है।<br>बहस प्रार्थनापत्र टी.आई. पर सुनी गई। मूलवाद वादग्रस्त भूमि के विधिक विभाजन से सम्बन्धित है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थी/वादी की ओर से पक्षकारान के निहित/अविभाजित हिस्सानुसार भूमि के, विधिक प्रावधान अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा गया है तथा हस्तगत प्रार्थनापत्र के माध्यम से भूमि के विधिक विभाजन कायम होने तक भूमि के बेचान नहीं करने तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बरकरार रखने जैसा अनुतोष चाहा गया है। जिसके सन्दर्भ में पूर्व से अन्तरिम स्थगन प्रभावी भी है। अप्रार्थीगण की ओर से ना तो पूर्व अन्तरिम स्थगन, जो कि आदिनांक तक प्रभावी है, का कोई समुचित/प्रभावी खंडन ही प्रस्तुत किया गया है, ना ही मूलवाद का किसी भी स्तर पर कोई मान्य/औपचारिक खंडन ही प्रस्तुत किया गया है। जिससे तथ्यों के दृष्टिगत मूलवाद में प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। अतः चूंकि मूलवाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। जिससे वाद कठिनता व न्यायहित के दृष्टिगत वादग्रस्त | |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

# फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 35/2024 राकेश कुमार बनाम अंशुल व अन्य

(टी.आई.)

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 30/05/25 | भूमि बाबत यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित समझते हैं। अतः पूर्व अन्तरिम कार्यवाही निम्नानुसार आदेश दिनांक 01.07.24 को तकरीरला मूलवाद स्थाई किया जाकर अपीलकारान को अप्रार्थी निम्नानुसार से पाबन्द किया जाता है कि वे वाके ग्राम चितावुकलां तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 1691 लगायत 1698 कुल रकबा किता 08 कुल रकबा 4.24 है. के किसी हिस्से का बेचान ना करें तथा मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।<br>निर्णय सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | |

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.08.20 13:18:29 IST
Reason: SelfAttested